



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941

No. 4197]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4698(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2922 (अ) तारीख 09 अगस्त 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) तारीख 10 अगस्त 2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के कि.मी. 400.100 से कि.मी. 421.775 (भोपाल - ब्यावरा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 05 सितम्बर, 2019 को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (भोपाल - ब्यावरा खण्ड) के कि.मी. 400.100 से कि.मी. 421.775 चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: राजगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: ब्यावरा				
	गांव का नाम: बाईहेडा				
1	1005	निजी	सिंचित	0.051	घीसालाल पिता बिहारीलाल जाती खाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.37 (१००५)
	गांव का नाम: भुरा				
2	192/2	निजी	असिंचित	0.47	मांगीलाल पिता देवचंद हजारीबाई वेवा देवचंद जाती दाँगी निवासी भूरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.75 (१९२/२)
	गांव का नाम: कंचनारिया				
3	676/17/15	निजी	असिंचित	0.018	मोहनलाल पिता सीताराम जाती कुम्हार पता निवासी मुल्तानपुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.03 (६७६/१७/१५)
	गांव का नाम: मुल्तानपुरा				
4	220/2/11/3	निजी	असिंचित	0.004	गीताबाई पत्नी राम प्रसाद (२२०/२/११/३)
5	220/2/2	निजी	असिंचित	0.004	सुन्दरबाई पत्नी कैलाशनारायण विजयवर्गीय जाती महाजन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.03 (२२०/२/२)
6	220/2/33/11	निजी	असिंचित	0.006	भंवरीबाई पत्नी वैजनाथ (२२०/२/३३/११)
7	220/2/33/7	निजी	असिंचित	0.006	सुनील कुमार पिता जगन्नाथप्रसाद मेवाड़े जाती भोई पता निवासी नरसिंहगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.03 (२२०/२/३३/७)
8	220/2/38	निजी	असिंचित	0.006	लाखनसिंह पिता भंवरलाल जाती सोंधीया पता निवासी कुंडीखेड़ा तहसील ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी कृषि भिन्न आशय भू-राजस्व 51.00 (२२०/२/३८)

9	220/2/61	निजी	असिंचित	0.004	रामचन्द्र पिता प्रभुलाल (२२०/२/६१)
10	220/2/67	निजी	असिंचित	0.006	राधाबल्लभ पिता लक्ष्मीनारायण जाती महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.03 (२२०/२/६७)
गांव का नाम: पीपलहेला					
11	1449/969	निजी	सिंचित	0.202	गिरधारी पिता छीता जाती चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.87 (१४४९/९६९)
12	918/3	निजी	सिंचित	0.035	प्रभुलाल पिता रामलाल जाती धाकड़ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.52 (९१८/३)
			कुल	0.812	

[फा. सं. RW/NH-37014/24/2010-NHDP-IVA/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2019

S.O. 4698(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2922(E) dated 09 August, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 12 on the stretch of land from Km 400.100 to Km 421.775 (Bhopal - Biaora Section) in the district of RAJGARH in the State of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 5th September 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 400.100 to Km 421.775 (Bhopal - Biaora Section) of the National Highway No. 12 in the district of RAJGARH in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: RAJGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Biaora				
	Village: Baiheda				
1	1005	Private	Irrigated	0.051	Ghasilaal S/o Biharilaal Jati Khaati Address Niwasi Land Owner Revenue 0.37 1005
	Village: Bhura				
2	192/2	Private	Unirrigated	0.47	Maangi laal S/o devchand Hajaribai Bewa devchand jaati Dangi Niwasi Bhura Land Owner, Revenue 6.75 192/2
	Village: Kachnariya				
3	676/17/15	Private	Unirrigated	0.018	Mohanlaal S/o Sitaram Jati Kumhar Address Niwasi Multanpura Land Owner Revenue 0.03 676/17/15
	Village: Multanpura				
4	220/2/11/3	Private	Unirrigated	0.004	Geetabai W/o Ramprasad 220/2/11/3
5	220/2/2	Private	Unirrigated	0.004	Sundarbai W/o Kailashnarayan vijayvargi Jati Mahajan Land Owner Revenue 0.03 220/2/2
6	220/2/33/11	Private	Unirrigated	0.006	Bhanvaribai W/o Baijnath 220/2/33/11
7	220/2/33/7	Private	Unirrigated	0.006	Sunil Kumar S/o Jagannath Mevade Jati Bhoi Address Niwasi Narsingharh Land Owner Revenue 0.03 220/2/33/7
8	220/2/38	Private	Unirrigated	0.006	Laakhansingh S/o Bhanwarlaal Jati Sondhiya Address Niwasi Kundikhedi Tehsil - Biaora Rajgarh MP Land Owner Revenue 51.00 220/2/38
9	220/2/61	Private	Unirrigated	0.004	Ramchandr S/o Prabhulaal 220/2/61
10	220/2/67	Private	Unirrigated	0.006	Radhavallabh S/o Lashminarayan Jati Mahajan Address Niwasi Land Owner Revenue 0.03 220/2/67

	Village: Peepalhela				
11	1449/969	Private	Irrigated	0.202	Girdhari S/o Chitha Jati Chamar Address Niwasi Land Owner Revenue 0.87 1449/969
12	918/3	Private	Irrigated	0.035	Prabhulaal S/o Ramlaal Jati Dhakad Address Niwasi Land Owner Revenue 1.52 918/3
			TOTAL	0.812	

[F. No. RW/NH-37014/24/2010-NHDP-IVA/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.